B.A. Part-2 (Hons)

INDIAN POLITICAL SYSTEM (Paper-3)

Topic: - Election Commission

भारत में संघीय व्यवस्था होने के बावजूद निर्वाचन आयोग का स्वरूप एकीकृत है। अर्थात एक ही निर्वाचन आयोग संघ एवं राज्य दोनों का चुनाव कराता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के गठन, शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसका कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है। निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय व बहुसदस्यीय दोनों हो सकता है। वर्तमान में यह बहुसदस्यीय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और शेष दो निर्वाचन आयुक्त है। इस तरह निर्वाचन आयोग में तीन सदस्य होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते समय वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श लेता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। समय के पूर्व राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुक्त हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति हटा सकता है।

अनुच्छेद 325 - निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करते समय धर्म, मूलवंश, जाति व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 326 - इसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है।

निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कराना है। इसके अतिरिक्त उपचुनाव व मध्यावधि चुनाव कराना भी इसका कार्य है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची व मतदाता पहचान पत्र तैयार करवाता है। भारत में पहली बार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में मतदाता पहचान पत्र का प्रावधान किया गया था। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। उन्हें क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दल घोषित करता है। मान्यता रद्द कर सकता है। चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। चुनाव के लिए तिथियों की घोषणा करता है। चुनाव आचार संहिता, चुनाव तिथि घोषित होते ही प्रभावी हो जाती है जबकि इसके उल्लंघन बाद संघ के चुनाव के लिए राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है। वहीं राज्य के चुनाव के लिए राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है।

61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है, तो इसके लिए कम से कम दो शर्त पूरी होनी चाहिए।

1. लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मत का उसे 6% प्राप्त करना चाहिए तथा लोकसभा की 4 सीट भी जीतना आवश्यक है।

2. लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें 3 राज्यों से जीतनी चाहिए।

वर्तमान में कांग्रेस, भा.ज.पा, बी.एस.पी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य हैं।

किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न में से एक शर्त पूरी होनी चाहिए। -

1) उस राज्य की विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% और साथ ही साथ 2 विधानसभा सीटें प्राप्त करना आवश्यक है।

2) उस राज्य की विधानसभा की कुल सीट का कम से कम 3% या 3 सीट से ज्यादा हो प्राप्त करना आवश्यक है।

अनुच्छेद 327 - विधायिका द्वारा चुनाव के सम्बन्ध में संसद में कानून बनाने की शक्ति।

अनुच्छेद 328 - किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति।

अनुच्छेद 329 - चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार (Bar)

निर्वाचन आयोग की संरचना :-

निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। 1 अक्टूबर 1993 को इसका तीन सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।

निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (दोनों में से जो पहले हो) तक होता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग का महत्व (Importance of Election Commission of India) :-

यह वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने में निर्वाचन आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। संविधान में निहित मूल्यों को मानता है अर्थात चुनाव में निष्पक्षता, समानता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित करता है। मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ निर्वाचन आयोग संलग्न रहता है।

हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, ~~उम्मीदवारों~~ उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है।